उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–5
संख्या– /XXX-5/21-38(11)/2002
देहरादूनः दिनांक 22 सितम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के सतर्कता अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–173/सतर्कता–2002–38(11)/2002 दिनांक 26 अप्रैल, 2003 में सतर्कता जांच से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण की प्रकिया निर्धारित की गयी है।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.04.2003 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवक के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा प्रस्तुत 'अभिसूचना आख्या' को सर्वप्रथम सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को भेजते हुए यह अपेक्षा की जाय कि विभाग के नामित मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी जैसा कि विभागीय सचिव उचित समझें, के माध्यम से अभिसूचना की गोपनीयता बनाए रखते हुए, 15 दिन के भीतर परीक्षण कराकर विभागीय मंतव्य कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध करायी जाय और तद्नुसार प्रशासकीय विभाग का मंतव्य प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को ''राज्य सतर्कता समिति'' की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

3. कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 26.04.2003 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

(डा0 एस0 एस0 सन्धु)
मुख्य सचिव,

संख्या 344 / XXX-5/2021–38(11)2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव ,उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव,